रांची में, शुक्रवार, दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित रहे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

1. झारखण्ड लोक सेवा आयोग और झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40 प्रतिशत निर्धारित किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

(कार्योपरांत स्वीकृति)

1. **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

2. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No. 646/2010, झारखण्ड लेबर सर्विस (टेक्निकल) एसोसिएशन एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश एवं इससे उद्भूत अवमाननावाद Cont. Case No. 689/2018 के अनुपालनार्थ झारखण्ड लेबर सर्विस (टेक्निकल) संवर्ग के पदों का वेतनमान/ग्रेड–पे में संशोधन के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

3. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 205 में संशोधन के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

4. सीमा सुरक्षा बल, प्रशिक्षण केन्द्र एवं विद्यालय, मेरू, हजारीबाग द्वारा संचालित कैंटिन में जवानों के उपयोग के लिए खरीदी/बिक्री किये जाने वाली 'शराब' (Liquors for human consumption) को मूल्यवर्द्धित कर से विमुक्ति प्रदान करने के बिन्दु पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। *4.* **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

5. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXV के तहत् 58–ग्रामीण पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 9762.76 लाख रुपये के ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में। *5.* **स्वीकृत।**

विधि विभाग

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु श्री फली०एस० नरीमन, वरीय अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय एवं डॉ अभिषेक मनु सिंघवी, वरीय अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय के शुल्क निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *6.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

7. Covid-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए विशेष परिस्थिति में शैक्षणिक सत्र–2020–21 के लिए विभागान्तर्गत सभी पोलिटेकनिक शिक्षण संस्थानों के प्रथम सेमेस्टर, पोलिटेकनिक तथा अभियंत्रण महाविद्यालयों के तृतीय सेमेस्टर (पार्श्विक प्रवेश) में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मापदंड अनुसार निर्धारित Entry Level Qualification से संबंधित Qualifying Examination के प्राप्तांक के आधार पर नामांकन प्रक्रिया अपनाए जाने हेतु स्वीकृति के संबंध में। *7.* **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा W.P.(C) No.-114/2014 Common Cause के मामले में पारित आदेश के आलोक में M/s Damodar Valley Corporation (DVC) के बोकारो अवस्थित बेरमो माईंस के बावत् MM (DR) Act, 1957 की घारा–21(5) के तहत् कुल रु0 360,36,84,512/– (तीन सौ साठ करोड़ छत्तीस लाख चौरासी हजार पांच सौ बारह) मात्र के समायोजन हेतु JBVNL द्वारा विद्युत क्रय की बकाया राशि में से डी०वी०सी० को रु0 360,36,84,512/– कम भुगतान करने की स्वीकृति एवं राज्य के सरकारी कार्यालयों एवं उपक्रमों के बकाया विद्युत विपत्र के विरूद्ध JBVNL को रु0 360,36,84,512/– कम भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में। *8.* **स्थगित।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू–सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 (यथा संशोधित, 2017) में संशोधन के संबंध में। *9.* **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अन्तर्गत बिरसानगर–बागूनहातु जलापूर्ति योजना हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन कुल रु0 30,19,39,000/– (तीस करोड़ उन्नीस लाख उनचालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरेक राशि भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। *10.* **स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

11. राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत झारखण्ड राज्य सरकार के राज्य संप्रतीक (State Emblem) में आंशिक संशोधन करते हुए नये राज्य संप्रतीक (State Emblem) को अंगीकृत करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *11.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

12. राज्य सरकार द्वारा "सोना–सोबरन धोती–साड़ी वितरण योजना" के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों को छः माह के अन्तराल पर एक वर्ष में दो बार तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में एक बार एक धोती/ लुंगी एवं एक साड़ी प्रति परिवार रुपये 10/– प्रति धोती/लुंगी एवं रूपये 10/– प्रति साड़ी की अनुदानित दर पर वितरण करने की स्वीकृति के संबंध में।

12. **इस शर्त्त के साथ स्वीकृत कि लाभान्वितों को इस योजना का लाभ Offline एवं Online दोनों तरह से दिया जाय तथा संकल्प/ अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व इसपर भारत निर्वाचन आयोग से सहमति प्राप्त कर ली जाय।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (गव्य विकास)

13. नेशनल डेयरी डेवलपमेंण्ट बोर्ड (एन०डी०डी०बी०) द्वारा झारखण्ड स्टेट को–ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लि0 (जे०एम०एफ०) का संचालन व प्रबंधन की अवधि दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 तक विस्तारित किये जाने एवं इसके निमित्त मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग (MoU) प्रारूप की स्वीकृति तथा झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 261 (b) एवं नियम 332 को योजना–सह–वित्त विभाग (वित प्रभाग), झारखण्ड के शर्त्तों के साथ शिथिल करते हुए झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को पी0एल0 खाता में दिये जाने वाले ग्रान्ट को झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के बचत बैंक खाता में हस्तांतरित कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

13. **इस शर्त्त के साथ स्वीकृत कि संलेख की कंडिका–12 (ii) की उप कंडिका ii. को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –** ***"प्रशासी विभाग अपने स्तर से यह आकलन कर लेगा कि कार्यहित में कितनी राशि की अग्रिम निकासी आवश्यक है। उतनी ही राशि को PL खाता से अग्रिम निकाल कर जे0एम0एफ0 के बैंक खाता में रखा जायेगा।"***

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

14. पंचम झारखण्ड विधान सभा का तृतीय (मानसून) सत्र (दिनांक 18.09.2020 से 22.09.2020) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। *14.* **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

15. झारखण्ड ऑपथल्मिक सहायक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) {संशोधन} नियमावली, 2020 के गठन के संबंध में। *15.* **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

16. नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या–5343, रांची, दिनांक 25.10.2019 द्वारा निर्गत रांची स्मार्ट सिटी के क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development) में भूमि आवंटन हेतु Jharkhand Smart Cities Land and Other Fixed Assets (Utilization, Allotment and Disposal) Rules, 2019 में संशोधन पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *16.* **स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

17. नोबेल कोरोना वायरस (Covid-19) से जनित विषम परिस्थिति में अव्यवहृत अंतर्राज्यीय तथा समस्त मंजिली वाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का झारखण्ड मार्ग कर से छूट प्रदान किये जाने के संबंध में। *17.* **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

18. रांची में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास बनाने एवं अन्य विकासात्मक कार्यों हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लि0, रांची द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित की जानी वाली 306.86 एकड़ भूमि में से 138.08 एकड़ भूमि का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार (जिस पर GRDA द्वारा रांची कोर कैपिटल एरिया विकसित करने का कार्य किया जा रहा है) के पक्ष में भूमि हस्तांतरण (अदला–बदली) एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा PMAY(U) के तहत एवं अन्य आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं के निर्माण हेतु सशुल्क झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को हस्तांतरण करने के संबंध में। *18.* **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

19. कोविड–19 के कारण ऊर्जा प्रक्षेत्र से जुड़े हुए कम्पनियों (डिस्कॉम) को केन्द्रीय सरकार के विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत पी०एफ०सी०/आर०ई०सी० द्वारा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 को "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के अंतर्गत आर०ई0सी0/पी0एफ0सी0 के निर्धारित शर्त्तों के अनुरूप कुल रु0 1841 करोड़ (एक हजार आठ सौ इकतालिस करोड़) मात्र, [रु0 1450 करोड़ ऋण की मूल शर्त्तों के अंतर्गत एवं रु0 391 करोड़ कार्यशील पूँजी] ऋण स्वरूप लेने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा ऋण की सकल राशि रु0 1841 करोड़ एवं इस पर लगने वाले ब्याज पर राजकीय गारंटी की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *19.* **स्थगित।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

20. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अधिसूचना संख्या–760 / नि०रा०, दिनांक 15.12.2017 द्वारा निर्गत झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली–2017 में संशोधन। *20.* **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

21. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अधिसूचना संख्या–759 / नि०रा०, दिनांक 15.12. 2017 द्वारा निर्गत झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहर्रिर सेवा संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली–2017 में संशोधन। *21.* **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

22. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अधिसूचना संख्या–758 / नि०रा०, दिनांक 15.12.2017 द्वारा निर्गत झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मुंसरीम सेवा संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली–2017 में संशोधन। *22.* **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

23. राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला, झारखण्ड के लिए पदों के सृजन के संबंध में। *23.* **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

24. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, बाजार फीस नियमावली, 2010 के अध्याय–II के नियम 20 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा राजकीय कोष में जमा राशि 80% प्राधिकार को विमुक्त किए जाने के विरूद्ध झारखण्ड आकस्मिकता निधि से कुल रु0 20,00,00,000/– (बीस करोड़) मात्र अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। *24.* **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

25. रांची स्मार्ट मिशन के अन्तर्गत रांची में स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को प्राप्त 647.08 एकड़ भूमि को रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित करने के संबंध में। *25.* **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

26. आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत राज्य के 80 विद्यालयों को जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय तथा प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर 4416 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के संबंध में। *26.* **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

27. रांची शहर में निर्माणाधीन चार मुख्य पथों के समग्र विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु सर्वश्री जुडको लि0 के द्वारा संबंधित संवेदक के साथ किए गए एकरारनामा को समाप्त करने/ योजना के कार्यक्षेत्र को सीमित करने तथा इन योजनाओं को बन्द करने की स्वीकृति के संबंध में।

27. **स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

28. राज्य में झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (Jharkhand State Food Security Scheme) के क्रियान्वयन के संबंध में।

28. **इस शर्त्त के साथ स्वीकृत कि संलेख की कंडिका–6 में अंकित शब्द समूह *"माध्यम से लिये गये निर्णयों/ दिशा–निर्देशों में समय–समय पर विभागीय स्तर से आवश्यक प्रक्रियात्मक संशोधन / परिमार्जन"* को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर शब्द समूह "संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण एवं समय सीमा निर्धारण" प्रतिस्थापित किया जाय।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी)

29. राज्य स्तरीय Schedule of Rate तैयार करने हेतु Standared Operating Procedure गठित करने के संबंध में।

29. **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

30. W.P.(S) संख्या–426/2004 एवं अवमाननावाद संख्या–211/2009 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के अराजकीय वर्गीकृत प्रमण्डलीय, जिला केन्द्रीय एवं अनुमण्डलीय पुस्तकालय के कर्मियों का वेतन भुगतान के लिये वेतन अनुदान की पुनरीक्षित दर एवं महँगाई भत्ता की स्वीकृति का प्रस्ताव। *30.* **स्वीकृत।**

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

31. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXVI के तहत् 50 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रु0 13532.20 लाख (एक सौ पैंतीस करोड़ बत्तीस लाख बीस हजार) के ऋण आहरण की स्वीकृति के संबंध में। *31.* **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

32. विभागीय राज्यादेश सं0–2658, दिनांक 21.06.18 को रद्द करते हुए रांची जिलान्तर्गत अंचल–नगड़ी, मौजा–मुड़मा, थाना सं0–229 के विभिन्न खातों एवं प्लाटों में अंतर्निहित कुल रकबा–2.09 एकड़ एच०ई0सी0 से राज्य सरकार को प्राप्त भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–I) का राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–4306/रा०, दिनांक 24.10.14 के आधार पर निर्धारित दर के अनुसार संगणित सलामी की राशि रु0 3,68,03,228/– (तीन करोड़ अड़सठ लाख तीन हजार दो सौ अठाईस) मात्र, सलामी का 2 प्रतिशत वार्षिक आवासीय लगान का 25 गुणा राशि रु0 1,84,01,614/– (एक करोड़ चौरासी लाख एक हजार छः सौ चौदह) मात्र एवं लगान का 145% सेस का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि रु0 2,66,82,350/– (दो करोड़ छियासठ लाख बिरासी हजार तीन सौ पचास) मात्र अर्थात् कुल देय राशि रु0 8,18,87,203/– (आठ करोड़ अठारह लाख सतासी हजार दो सौ तीन) मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–II) की अदायगी पर Central Excise & Service Tax, भारत सरकार के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु Commissioner of Central Goods & Service Tax, रांची को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। *32.* **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

33. धनबाद जिलान्तर्गत अंचल–निरसा एवं बाघमारा के मौजा–बड़ा आम्बोना, जामकुदर एवं रघुनाथपुर थाना सं0–173, 172 एवं 243, खाता सं0–526, 352 एवं 12 के विभिन्न प्लॉट संख्या में अंतर्निहित कुल रकबा–3.7841 एकड़ गैर आबाद खास एवं आम (सर्वसाधारण) भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–I) का राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–4306/रा०, दिनांक 24.10.14 की कंडिका–2(I) के अनुसार निर्धारित दर के आधार पर संगणित की गयी सलामी की राशि रु0 59,37,713/– (उनसठ लाख सैंतीस हजार सात सौ तेरह) मात्र, सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक लगान का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि रु0 74,22,141/– (चौहत्तर लाख बाईस हजार एक सौ इकतालीस) मात्र, लगान का 145% सेस का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि रु0 1,07,62,105/– (एक करोड़ सात लाख बासठ हजार एक सौ पांच) मात्र अर्थात् कुल देय राशि रु0 2,41,21,959/– (दो करोड़ इकतालीस लाख इक्कसी हजार नौ सौ उनसठ) मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–II) की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (DFCCIL) के विशेष रेलवे लाईन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में सशुल्क स्थायी भू– हस्तांतरण के संबंध में।

33. **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

34. धनबाद जिलान्तर्गत अंचल–निरसा के मौजा–दुधियापानी, थाना सं0–232 खाता सं0–15 के प्लॉट संख्या–18, 19, 21 एवं 305 में अंतर्निहित कुल रकबा–4.0820 एकड़ गैरमजरूआ भूमि किस्म–पु0 प0 (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–I) राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–4306/रा०, दिनांक 24.10.14 की कंडिका–2(I) के अनुसार निर्धारित दर के आधार पर संगणित की गयी सलामी की राशि रु0 16,54,435/– (सोलह लाख चौवन हजार चार सौ पैतीस) मात्र, सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक लगान का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि रु0 20,68,043/– (बीस लाख अड़सठ हजार तैंतालीस) मात्र, लगान का 145% सेस का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि रु0 29,98,663/– (उनतीस लाख अनठानवे हजार छः सौ तिरसठ) मात्र अर्थात् कुल देय राशि रु0 67,21,141/– (सड़सठ लाख इक्कसी हजार एक सौ एकतालीस) मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–II) की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (DFCCIL) के विशेष रेलवे लाईन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में सशुल्क स्थायी भू–हस्तांतरण के संबंध में।

34. **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

35. धनबाद जिलान्तर्गत अंचल–निरसा मौजा–माड़मा, एलाकेन्द्र एवं नारीपहाड़ी थाना सं0 क्रमशः– 57, 167, 147 के विभिन्न खाता सं0 एवं खेसरा संख्या में अंतर्निहित कुल रकबा–0.215 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि किस्म–नाला, बांध आर, रास्ता एवं जाहिर स्थान (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–I) राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–4306/रा०, दिनांक 24.10.14 की कंडिका–2(I) के अनुसार निर्धारित दर के आलोक में संगणित सलामी की राशि रु0 3,80,126/– (तीन लाख अस्सी हजार एक सौ छब्बीस) मात्र, सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक लगान का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि रु0 4,75,157/– (चार लाख पचहत्तर हजार एक सौ संतावन) मात्र, लगान का 145% सेस का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि रु0 6,88,977/– (छः लाख अटठासी हजार नौ सौ सतहत्तर) मात्र अर्थात् कुल देय राशि रु0 15,44,260/– (पंद्रह लाख चौवालीस हजार दो सौ साठ) मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–II) रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर DFCCIL, विशेष रेलवे लाई निर्माण हेतु DFCCIL, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी भू– हस्तांतरण के संबंध में।

35. **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

36. कोडरमा जिलान्तर्गत अंचल–जयनगर मौजा–गोहाल थाना सं0–157 के खाता सं0–70 एवं प्लॉट संख्या–1619 में अंतर्निहित कुल रकबा–0.407 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि किस्म–परती कदीम (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–I) राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–4306, दिनांक 24.10.14 की कंडिका–2(I) के आधार पर निर्धारित दर के अनुसार संगणित सलामी की राशि रु0 6,83,044/– (छः लाख तिरासी हजार चौवालीस) मात्र, सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक व्यावसायिक लगान का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि रु0 8,53,806/– (आठ लाख तिरपन हजार आठ सौ छः) मात्र एवं लगान का 145% सेस का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि रु0 12,38,018/– (बारह लाख अड़तीस हजार अठारह) मात्र अर्थात् कुल देय राशि रु0 27,74,868/– (सत्ताईस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ अड़सठ) मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–II) रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर DFCCIL विशेष रेल परियोजना हेतु विशेष रेल परियोजना DFCCIL, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी भू– हस्तांतरण के संबंध में।

36. **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

37. विभागीय राज्यादेश सं0–964/रा० दिनांक 08.03.19 (संलग्न परिशिष्ट–I) को विलोपित करते हुए दुमका जिलान्तर्गत अंचल–दुमका, मौजा–शहरघाटी, थाना सं0–40, खाता सं0–26 एवं खेसरा सं0–856 में अंतर्निहित कुल रकबा–5.73 एकड़ गैरमजरूआ भूमि किस्म–पतीत पाथर भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–I) प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका–सह अध्यक्ष अविक्रयशील कृषि भूमि मूल्य निर्धारण समिति के पत्रांक 94/रा०, दिनांक 12.07.18 द्वारा निर्धारित दर रु0 13,76,100/– (तेरह लाख छिहत्तर हजार एक सौ) मात्र प्रति एकड़ एवं राजस्व विभागीय संकल्प सं0–48/रा०, दिनांक 03.01.17 के आलोक में संगणित सलामी की राशि रु0 78,85,053 (अठहत्तर लाख पचासी हजार तिरपन) मात्र, सलामी का 1 प्रतिशत वार्षिक लगान की राशि रु0 78,851/– (अठहत्तर हजार आठ सौ इक्यावन) मात्र, लगान का 75% सेस की राशि रु0 59,139 (उनसठ हजार एक सौ उनचालीस) मात्र का 29 वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतेय लगान एवं सेस की राशि रु0 40,01,710/– (चातीस लाख एक हजार सात सौ दस) मात्र अर्थात् कुल देय राशि रु0 1,20,24,753/– (एक करोड़ बीस लाख चौबीस हजार सात सौ तिरपन) मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–II) की अदायगी पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम निर्माण हेतु भारतीय खाद्य निगम के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में।

37. **स्वीकृत।**

:: अन्यान्य ::

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

38. "राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री हाजी हुसैन अंसारी, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा निबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के दिनांक 03 अक्टूबर, 2020 को हुए आकस्मिक निधन पर मंत्रिपरिषद द्वारा शोक प्रकट किया गया एवं गहरी संवेदना व्यक्त की गई। सादगी की प्रतिमूर्ति श्री अंसारी झारखण्ड आन्दोलन के अग्रणी एवं लोकप्रिय नेता तथा सच्चे जनप्रतिनिधि थे। उन्होंने 1995 से लगातार विधायक/मंत्री के रूप में जनता एवं राज्य की महती सेवा की। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए 02 मिनट का मौन रखते हुए उनके परिजनों को दुःखद घड़ी में इस वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गयी।"

:: अन्यान्य ::

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

39. "राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री रामविलास पासवान, माननीय केन्द्रीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 09.10.2020 को असामयिक निधन पर गहरी संवेदना एवं दुःख प्रकट किया गया तथा इसे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया गया। मंत्रिपरिषद् ने स्वर्गीय रामविलास पासवान द्वारा देश के विकास हेतु किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए 02 मिनट का मौन रखते हुए उनके परिजनों को दुःखद घड़ी में इस वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गयी।"